

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)

934
13-14

आदेश फलक

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक नं० 934

तारीख 5.8.12 से 17.8.13 तक

जिला पटना अनुमण्डल- बाढ़, अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार हाइड्रोलॉजिकल
कॉन्ट्रोल एक्ट एवं वर्ष 2013-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
5-8-13	<p>श्री/श्रीमति <u>साधु शंकरा न विदिमा बाढ़</u> पिता/मति <u>प्रताप पाठक</u> ग्राम <u>कनकपुर</u> थाना <u>बाठ</u> जिला पटना अंचल, बाढ़ जिला ने निम्नलिखित जमीन बिक्री/दानपत्र/वख्शीशनामा बंटवारा/विनिमय/उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दू पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>8-8-13</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>जमीन का विवरण</p> <p>ग्राम/थाना नं० <u>साधु</u> खाता नं० <u>17</u> खेसरा <u>853, 855</u> रकबा <u>211811</u></p>	
8-8-13	<p>अंचल अधिकारी बाढ़</p>	
	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विकी पत्र/दानपत्र/कखीसनामा
बंटवारा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु केता,विकेता एवं आम
महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 16-8-13
को उपस्थापित करें।

2/8/13
अंचल अधिकारी
बाढ़

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा
काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 17-8-13
को उपस्थापित करें।

2/16/13
अंचल अधिकारी
बाढ़

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर
राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की

स्वीकृति दी जाती है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

2/17/13
अंचल अधिकारी
बाढ़